हरयिाणा में 'पॉलसिी फॉर सर्टफिकिेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन आफ आयुष फैसीलटिजि' लागू

चर्चा में क्यों?

07 फरवरी,2023 को हरयिाणा सरकार ने आयुष प्रणाली व सुवधिाओं को बढ़ावा देने के लयि एक नई नीति'पॉलसिी फॉर सर्टफिकिेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयुष फैसीलटिजि' (आयुष सुवधिाओं के प्रमाणन और मानकीकरण के लयि नीति) लागू की है।

प्रमुख बदिु

- इस संबंध में जानकारी देते हुए हरयिाणा के गृह, स्वास्थ्य और आयुष मंत्री अनलि वजि ने बताया कि यह नीति आगामी 31 अक्तूबर, 2027 तक लागू रहेगी और इस नीति की एक अधसिूचना आज जारी कर दी गई है।
- इस नीति का उदेश्य समग्र कल्याण मॉडल के आधार पर सेवाएँ प्रदान करने के लयि निजी क्षेत्र में आयुष औषधालयों/क्लीनकिों, पंचकर्म केंद्रों, आयुष अस्पतालों के नेटवर्क की पहचान और संचालन के माध्यम से आयुष के मुख्य योग्यता क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रति करके लागत प्रभावी आयुष चकित्सिा सेवाओं के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के कवरेज को बढ़ाना है।
- इससे बीमारी के बोझ और जेब खर्च को कम करने के साथ-साथ जनता को 'स्वयं की देखभाल'के लयि सशक्त बनाया जा सकेगा।
- इस नीति के तहत आयुष चकित्सिा पद्धति के तहत लक्षति सार्वजनकि स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से संचारी/गैर-संचारी रोगों में कमी लाने की भी परकिल्पना की गई है।
- सरकार इस नीति के तहत अन्य सेवा क्षेत्रों के बीच आयुष को प्राथमकि स्वास्थ्य क्षेत्र के रूप में बढ़ावा देने का प्रयास करेगी, जसिके तहत आयुष वेलबीइंग डेस्टनिेशन में आयुष अस्पतालों, कॉलेजों, वेलनेस सेंटरों से लेकर नविारक, उपचारात्मक और पुनर्वास उपचार/सुवधिाएँ, गेस्ट हाउस और होम-स्टे, ऑर्गेनकि रटिेल सुवधिाएँ, योग और प्राकृतकि चकित्सिा केंद्र, स्पा और अरोमाथेरेपी केंद्र, बॉडी रैप्स, मसाज वेलनेस सेंटर, सौंदर्य उपचार, वशिष त्वचा देखभाल क्लनिकि, सांस्कृतकि और वरिासत प्रदर्शन के लयि बाहरी सत्र इत्यादि शामलि हैं।
- इसी प्रकार, स्टैंडअलोन या मल्टी-स्पेशयिलटिी आयुष अस्पताल जसिमें आयुष के तहत चकित्सिा की सभी या 5 प्रणालयिों में से कुछ शामलि हैं और नैदानकि प्रतष्ठान अधनियिम 2011, एनएबीएच या आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नरि्धारति मानकों का अनुपालन करते हैं, जो भी लागू हो।
- इसी तरह, आयुष वेलनेस सेंटर में जैसे आयुष क्लीनकि/डे केयर सेंटर/डसि्पेंसरी/पंचकर्मा क्लनिकि/योग, नेचुरोपैथी और मेडटिेशन सेंटर/कन्वलेसेंस सेंटर आदि बिना आईपीडी सुवधिा के हैं।
- आयुष अस्पतालों, वेलनेस सेंटरों आदि को पर्याप्त मान्यता प्रदान की जाएगी। आयुष वभिाग, हरयिाणा सरकार के तहत मान्यता प्राप्त/प्रमाणति आयुष सुवधिाओं/संस्थानों की तीन श्रेणयिाँ होंगी जसिमें आयुष हीरक, आयुष स्वर्ण और आयुष रजत शामलि हैं।
- अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच) द्वारा पूर्ण मान्यता प्राप्त करने वाले अस्पतालों, वेलनेस केंद्रों आदि को राज्य सरकार द्वारा 5 स्टार रेटगि के साथ आयुष स्वर्ण के रूप में मान्यता दी जाएगी।
- जनि आयुष संस्थाओं ने अपनी संबंधति श्रेणी में एनएबीएच द्वारा पूर्व-प्रत्यायन प्रवेश स्तर के मानक प्राप्त कयि हैं, उन्हें राज्य सरकार द्वारा 3 स्टार रेटगि के साथ आयुष रजत के रूप में मान्यता दी जाएगी।
- अपनी श्रेणी में आयुष स्वर्ण मान्यता/प्रमाणन प्राप्त करने के बाद लगातार 5 वर्षों तक एनएबीएच मान्यता बनाए रखने वाली आयुष संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा 7 स्टार रेटगि को आयुष हीरक के रूप में मान्यता दी जाएगी। मान्यता/प्रमाणन एनएबीएच मान्यता की वैधता तक वैध रहेगा।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/policy-for-certification-and-standardization-of-ayush-facilities-implemented-in-haryana